मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 127वीं बैठक दिनांक 26.04.2008 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अरूण कुमार सिन्हा सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश, विशेष सचिव, वित्त विभाग
4.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	डा0 एस0के0 चौहान, नोडल आफिसर
5.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक (परियोजना) कृषि निदेशालय,
6.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
7.	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 126वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2	मा0 परिषद की 126वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	मा0 परिषद की 126वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3	मण्डी समितियों की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।
4	वर्ष 2008 के आम सत्र में आम निर्यात के प्रोत्साहन हेतु मैंगो फैस्टिवल आयोजित करने के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आम निर्यात के प्रोत्साहन हेतु रू0 15.00 लाख का बजट मण्डी परिषद स्तर पर प्राविधानित किया गया और यह तय किया गया कि इस प्रयोजनार्थ कुल खर्च में 75 प्रतिशत मण्डी परिषद एवं 25 प्रतिशत निर्यातक/ किसानों द्वारा वहन किया जायेगा। आम निर्यात के प्रोत्साहन हेतु मैंगो फैस्टिवल आयोजन के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया।
5	नोएडा में निर्मित पुष्प मण्डी को क्रियाशील करने हेतु अस्थायी संचालन	नोएडा में निर्मित पुष्प मण्डी को क्रियाशील करने के लिए संचालन की अवधि से 06 माह तक के लिए अस्थायी

	व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार।	संचालन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पुष्प मण्डी में आवन्टित की जाने वाली दुकानों हेतु नार्म्स निर्धारण, रेंट निर्धारण, किसानों हेतु सुविधा यथा– वाटर ट्रे, ट्राली किसानों के पास से फूलों के परिवहन हेतु परिवहन सुविधा, पुष्प मण्डी में प्रदत्त सुविधाओं के सापेक्ष सर्विस चार्जेज तथा आक्सन मास्टर की तैनाती हेतु अर्हता एवं तैनाती की प्रक्रिया का उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार कर लिया जाय। यह उच्च स्तरीय समिति सचिव, कृषि विपणन की अध्यक्षता में गठित होगी जिसमें मण्डी परिषद के अधिकारियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा एवं आवश्यकतानुसार समिति अध्यक्ष इसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को भी नामित करने हेतु सक्षम होंगे। इस सिलसिले में यह भी निर्णय लिया गया कि नोएडा पुष्प मण्डी के सम्बन्ध में लोंगो में जागरूकता पैदा करने हेतु यथासम्भव प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इस हेतु निदेशक, मण्डी परिषद को अधिकृत किया गया ताकि वे पुष्प मण्डी के सम्बन्ध में साहित्य का प्रकाशन करायें एवं आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन देकर भी जागरूकता पैदा करें। पुष्प मण्डी के पास खाली पड़े 22 एकड़ जमीन पर फल एवं सब्जी के मण्डी हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी दी गई।
6	उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों में मण्डी एवं स्टेकहोल्डर्स के मध्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु मण्डी स्वास्थ्य कार्ड योजना/ कृषक संस्तुष्टिकरण स्तर लागू किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा अध्ययन/ सर्वे कराये जाने विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव का परीक्षण सचिव, कृषि विपणन की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाय जिसमें निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0/ विशेष सचिव, कृषि विपणन/ अपर निदेशक (प्रशासन)/ वित्त नियंत्रक सदस्य के रूप में नामित हों। समिति की संस्तुति सहित मण्डी परिषद प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी मा0 संचालक मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
7	मण्डी/ उपमण्डी घोषित कराने तथा घोषित उपमण्डी को स्वतंत्र मण्डी घोषित कराने हेतु मानक निर्धारित किये जाने पर विचार।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा अपेक्षा की गयी कि मण्डी परिषद स्तर पर मण्डी घोषित कराने हेतु मानकों का गम्भीर रूप से परीक्षण कराया जाय। परीक्षणोपरान्त पुनः प्रस्ताव विचारार्थ मा0 संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
8	उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 (भाग–7) के प्रस्तर–3(1) के प्राविधानों के अनुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट दिये जाने पर विचार।	उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 (भाग–7) के प्रस्तर–3(1) के प्राविधानों के अनुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर मण्डी परिषद के अधिकारीगण प्रशासकीय विभाग के सुझाव के साथ प्रस्ताव आगामी मा0 संचालक मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

19

9	"अपना बाजार" परियोजना को क्रियाशील कराने के सम्बन्ध में आई0आई0एम0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं पर पुर्नविचार।	प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः– 1. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, (आई0आई0एम0) लखनऊ द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कतिपय श्रेणियों की दुकानों को तोड़कर परिवर्तन की कार्यवाही जो की गयी थी उसे रोक दिया जाय एवं समस्त दुकानों को पूर्व में निर्मित आकारों के अनुसार रखा जाए। 2. इस सिलसिले में यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि "अपना बाजार" सम्प्रति रिहायशी इलाके के बीच में है अतः यहाँ थोक व्यापार किया जाना उचित नहीं होगा, अतः समस्त गैर विवादित दुकानों को फुटकर व्यापार हेतु आवन्टित किया जाए। 3. उक्त के अनुपालन में विवादित दुकानों को छोड़ते हुए अन्दर एवं बाहर की समस्त दुकानों के आवन्टन की कार्यवाही की जाय और इस प्रयोजनार्थ यूनिट कास्ट का आंकलन लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में प्रचलित सूत्र के अनुसार किया जाए एवं उपरोक्तानुसार तय किए गए यूनिट कास्ट के आधार पर आवन्टन मण्डी परिषद में प्रचलित नियमानुसार किया जाए। 4. गैर विवादित दुकानों हेतु दुकानों के वर्गीकरण (खाद्यान्न, पुष्प, फल सब्जी आदि) के आधार पर क्रमशः "अ", "ब", "स", मेजानाईन एवं सुपर बाजार की दुकानों में खुदरा के कौन–कौन से कारोबार के लिए कौन–कौन दुकानें आवन्टित की जायेगी, इसका निर्धारण भी आवन्टन से पहले कर लिया जाय। दुकानों के वर्गीकरण खुदरा दुकानों हेतु करने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान की अनुशंसा को भी आधार बनाते हुए एक समिति जिसमें अपर निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) लखनऊ, उप निदेशक (प्रशासन/ विपणन) (श्रीमती मंजू मिश्रा), उप निदेशक (प्रशासन/ विपणन) (श्री आर0एन0 सिंह), विधि अधिकारी (श्री ए0के0 सक्सेना), उप निदेशक (निर्माण–3) एवं सचिव, मण्डी समिति, लखनऊ तय करेंगे कि खुदरा की कौन–कौन सी दुकाने किन–किन सामानों की बिक्री करने हेतु आवन्टित की जायेगी और यदि समिति आवश्यक समझे तो दुकानों के आवन्टन हेतु नियमावली बनाने का कार्य करे।

		5. इन दुकानों का आवन्टन इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद; उ0प्र0 द्वारा संचालित खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना, सहायता योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि बढ़ाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, अतएव वर्तमान दरों के स्थान पर सीमान्त कृषकों के लिये अधिकतम रू0 7,500.00, लघु कृषकों के लिये अधिकतम रू0 10,000.00 तथा अन्य कृषकों के लिये अधिकतम रू0 15,000.00 की सीमा तक सहायता अनुमन्य की जा सकती है। कृषक हित में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत किसानों की खड़ी फसल अग्निकाण्ड दुर्घटना को भी शामिल कर लिया जाय तथा जहां किसी एक अग्निकाण्ड दुर्घटना में सहायता की धनराशि रू0 1.00 लाख (एक लाख) से अधिक आंकलित हो रही हो तो उन दावों के निपटारे हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव शासन को संचालक मण्डल की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाए।
11	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में रिक्त पदों पद भर्ती/ नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12	प्रदेश की मण्डी समितियों में पूर्व में स्वीकृत फील्ड एवं कार्यालय स्टाफ के पदों में वृद्धि किये जाने विषयक प्रस्ताव।	मण्डी समितियों में पदो की वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित आख्या शासन को प्रेषित किया जाय।
13	मण्डी परिषद/ समितियों में हो रहे कम्प्यूटराईजेशन की अद्यतन स्थिति तथा द्वितीय चरण की कार्ययोजना के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1	प्रदेश के किसानों को मण्डी समितियों में विक्रय होने वाले विभिन्न जिन्सों के दर की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	दूरभाष पर विक्रय मूल्य की सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और यह निर्देश दिए गए कि प्रदेश में कार्यरत सभी मोबाईल सेवाओं में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी मोबाइल कम्पनी को एकाधिकार नही मिल सके। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में कृषक आवक उपहार योजना के अन्तर्गत ईनामी कूपन के माध्यम से 10 किसानों को 10 (दस) मोबाइल प्रत्येक माह में किसानों को लाटरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय ताकि वे अपनी उत्पाद का उचित विक्रय मूल्य दूरभाष का प्रयोग कर प्राप्त कर सके।
2	अधिक यातायात घनत्व वाले ग्रामीण सम्पर्क मार्गो की विशिष्टियों के निर्धारण	अधिक यातायात घनत्व वाले ग्रामीण सम्पर्क मार्गो की विशिष्टियों के निर्धारण का प्रस्ताव इस शर्त के साथ

	का प्रस्ताव।	अनुमोदित किया गया कि मण्डी परिषद मुख्यालय के अधिकारियों की एक समिति बनायी जाय तथा उक्त समिति इन प्रस्तावों/ आगणनों का स्थलीय परीक्षण कर स्वीकृति हेतु संस्तुति करेगी। समस्त सम्पर्क मार्गो हेतु इसे उदाहरण नहीं माना जायेगा।
3	मण्डी समिति, कानपुर के नवीन फल मण्डी एवं सब्जी मण्डी स्थल, सचेण्डी (चकरपुर) हेतु अधिगृहीत भूमि पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का प्रस्ताव।	भविष्य में मण्डी का अधिक विस्तार सम्भव है। अतः कानपुर मण्डी की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त भूमि (लगभग 50 एकड़) अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।
4	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत मण्डी परिषद के निर्माण खण्ड, बस्ती में वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत कार्यो की निविदायें विभागीय ठेकेदारों द्वारा क्रय न किये जाने के कारण यह कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से कराये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) को स्थानान्तरित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय तथा अन्य उप निदेशक (निर्माण) की तैनाती कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश